कर्मचारियों की पदोन्नति के लिए कोई रोस्टर रखा जाता है ; और

(ङ) क्या सरकारी अनुदेशों के उल्लघन करने वालों के विरुद्ध कोई दण्डात्मक कार्रवाई की गयी है और यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ङ) सरकारी उपक्रमों के निदेशक मण्डलों को सरकारी उद्यमों मे निदेशक मण्डल स्तर से नीचे के पदों पर भर्ती करने, पदोन्नति देने आदि के मामले में पूरा-पूरा अधिकार प्राप्त है और ऐसा करने से पूर्व उनके लिए सरकार को सूचित करना या सरकार की अनुमति प्राप्त करना आवश्यक नहीं है । सरकारी उपक्रमों द्वारा की गई भर्ती आदि से सम्बंधित आकड़े सरकार में किसी एक स्थान पर नहीं रखे जाते । बहरहाल, उपलब्ध जानकारी के अनुसार सरकारी उपक्रमों की भर्ती, पदोन्नति, रोस्टर के रखरखाव, दिहाड़ी कामगारों की सेवाएं प्राप्त करने आदि में सम्बन्धित मामलों के सामान्य अनुदेशों का अनुपालन करना पड़ता है ।

दिल्ली में फैक्टरी के लिए लाइसैंस

7013. मौलाना अबैदुल्ला खान आजमी : **क्या प्रधान मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि हाल ही में दिल्ली में फैक्टरी के लिये लाइसैंस उपलब्ध कराने के संबंध में घोषणा की गयी थी ;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ;

(ग) क्या यह भी सच है कि यह घोषणा काफी विलम्ब के बाद की गयी थी ;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं ; और

(ङ) औद्योगिक लाइसेंस देने की प्रक्रिया को सरल बनाने और दिल्ली तथा देश के अन्य भागों में औद्योगिकीकरण का कार्य शीघ्र पूरा करने के लिए क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री एम० अरुणाचलम) : (क) जी, हां ।

(ख) दिल्ली नगर निगम द्वारा दी गई सूचना के अनुसार निम्नलिखित क्षेत्र में स्थित और 31-12-93 को काम कर रहे औद्योगिक एकक तदर्थ पंजीकरण, 1994 के लिए पात्र हैं :—

1. बाउंडरी के भीतर शहर और अन्य नियमित क्षेत्र ।

2. दिल्ली सुधार निकाय द्वारा कार्यान्वित योजनाएं ।

3. 1947-57 के बीच पुनर्वास मंत्रालय द्वारा कार्यान्वयन योजनाएं ।

4. पुनर्वास बस्तियां ।

5 शहरी गांव ।

6. अनधिकृत नियमित बस्तियां ।

तदर्थ पंजीकरण योजना निम्नलिखित क्षेत्रों के लिए लागू नहीं होगी :—

1. नयी दिल्ली नगर निगम और दिल्ली छावनी क्षेत्र ।

2. विकसित आवास योजनाएं और आयोजित आवास योजनाएं तथा 1957 के पश्चात् योजनाबद्ध बस्तियां ।

3. वे अनधिकृत बस्तियां जिन्हें नियमित नहीं किया गया है ।

4. झुग्गी-झोपड़ी बस्ती ।

5. कर्मचारी आवास बस्तियां ।

6. ग्रामीण प्रबन्ध । घरेलू और ग्रामीण औद्योगिक एकक । दिल्ली नगर

निगम द्वारा यथा-निर्दिष्ट ए और ए आई वर्ग ।

7. ऐसे उद्योग जिनका उल्लेख मास्टर प्लान–1990 में वर्ग एच के रूप में आपत्तिजनक, खतरनाक और प्रदूषणकारी उद्योगों के रूप में किया गया है, उन्हें तदर्थ पंजीकरण योजना, 1994 में शामिल नहीं किया गया है ।

(ग) जैसे ही राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार का निर्णय प्राप्त हुआ था, दिल्ली नगर निगम ने इस मामले में तत्काल कार्यवाही की ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।

(ङ) दिल्ली नगर निगम के अनुसार जहां तक दिल्ली का सम्बन्ध है फैक्ट्री लाइसेंसिंग विभाग ने लाइसेंसिंग कार्यविधि को सरल बना दिया है ।

जहां तक केन्द्र सरकार का सम्बन्ध है नई औद्योगिक नीति के अधीन अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन आने वाले उद्योगों की सूची की समय-समय पर समीक्षा की जाती है । अधिकतर मदों को लाइसेंस मुक्त कर दिया गया है । अनिवार्य लाइसेंसीकरण के अधीन अब केवल 16 उद्योगों की एक संक्षिप्त सूची है । 836 मदें केवल लघु उद्योग द्वारा निर्माण के लिए आरक्षित हैं । उद्योगों के पंजीकरण की योजनाओं अर्थात लाइसेंस मुक्त उद्योग पंजीकरण योजना, छूट प्राप्त उद्योग पंजीकरण योजना और लोहे तथा इस्पात के लिए वस्त्र आयुक्त और विकास आयुक्त के पास पंजीकरण को समाप्त कर दिया गया । अन्य सभी उद्योगों को, जिनके लिए नई औद्योगिक नीति के अधीन लाइसेंस लेना जरूरी नहीं है, एक औद्योगिक उद्यमी ज्ञापन प्रस्तुत करना होता है ।

उत्तर प्रदेश में भारी उद्योग स्थापित किये जाना

7014. मौलाना ओबैदुल्ला खान आजमी : क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार को उत्तर प्रदेश में बड़े भारी उद्योग स्थापित करने के संबंध में पिछले तीन वर्षों के दौरान कुछ प्रस्ताव प्राप्त हुए है ;

(ख) यदि हां, तो उनका ब्यौरा क्या है ; और

(ग) इन प्रस्तावों पर सरकार द्वारा अब तक की गयी कार्यवाही का ब्यौरा क्या है ?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती कृष्णा साही) : (क) से (ग) पिछले तीन वर्षों अर्थात् 1991 से 1993 के दौरान उत्तर प्रदेश में विभिन्न उद्योगों की स्थापना करने के लिए औद्योगिक लाइसेंस की मंजूरी हेतु 398 आवेदन (मिश्रित आवेदन छोड़कर) प्राप्त हुए थे ।

1–4–94 की स्थिति के अनुसार इनके लिए 106 आशय पत्र दिए गए, 59 आवेदन नामंजूर किये गए और 103 आवेदनों के मामले में कोई औद्योगिक लाइसेंस आवश्यक नहीं था । मामले वापस ले लिये गये थे ।

Demand of Indian Industry for level Playing field

7015. MISS SAROJ KHAPARDE: Will the PRIME MINISTER be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the Minister of Commerce has recently justified the demand of the Indian industry for a "level playing field' as per the news-item in the Hindustan Times, dated 19th April, 1994, under the caption the 'Commerce Minister Justifies demand for level-plying field;

(b) if so, the facts in this regard; and

(c) what action Government propose to take in the matter?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF INDUSTRY (SMT. KRISHNA SAHI): (a) and (b)